



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcdfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-47/2015 (पार्ट)-347 दिनांक : 15.03.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए मजदूरी मद में अतिरिक्त **रु0 5.823 लाख (पाँच लाख बेरासी हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक 703 दिनांक 19.05.2017 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-66/2015-63/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.03.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-66/2015- 101/आ0 व0प0 दिनांक 09.03.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का अधिसूचना संख्या 2/एम0डब्लू0-2017/2010, श्र0नि0-2011 दिनांक 24.10.2016 द्वारा अकुशल श्रेणी के मजदूरों का मजदूरी दर में 3.32/-रु0 प्रति मानव दिवस की वृद्धि की गई है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा मजदूरी मद में लगभग 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस कार्यालय का पत्रांक 703 दिनांक 19.05.2017 द्वारा पूर्व में शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर उप आवंटन की गई थी केवल अवकृष्ट वनों का पुनर्वास कार्यों के लिए 213.85 रु0 प्रति मानव पर राशि उप आवंटित है। माह अप्रैल से सितम्बर तक 221.61 एवं 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 224.93 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर मजदूरी मद में अतिरिक्त **रु0 5.823 लाख (पाँच लाख बेरासी हजार तीन सौ रुपये)** मात्र उप आवंटित की जाती है।

9

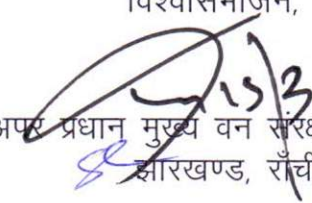
2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन आदेश के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

4. आपूर्ति एवं सामग्री मद में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में आवंटित राशि यथावत रहेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।
3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन आदेश के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।
4. आपूर्ति एवं सामग्री मद में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में आवंटित राशि यथावत रहेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015 (पार्ट)-347 दिनांक- 15.03.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/
एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।
3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन आदेश के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।
4. आपूर्ति एवं सामग्री मद में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में आवंटित राशि यथावत रहेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015 (पार्ट)-347 दिनांक- 15.03.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/
एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015 (पार्ट)-347 दिनांक- 15.03.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ चतरा/
हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के अंतर्गत पूर्व उप आवंटित राशि के अतिरिक्त उप आवंटन

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	कुल आवश्यक मजदूरी	पूर्व उप आवंटित मजदूरी	शेष उप आवंटित की जाने वाली राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	30	10.752	9.968	0.784
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	30	10.752	9.968	0.784
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	50	18.944	16.613	2.331
योग :-		110	40.448	36.549	3.899

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के अंतर्गत पूर्व उप आवंटित राशि के अतिरिक्त उप आवंटन

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	कुल आवश्यक मजदूरी	पूर्व उप आवंटित मजदूरी	शेष उप आवंटित की जाने वाली राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50.00	13.331	11.407	1.924
सकल योग :-		50.00	13.331	11.407	1.924
कुल सकल योग :-		160.00	53.779	47.956	5.823

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0ब0-66/2015- 54 दिनांक 15.01.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47A/2015/347

दिनांक - 15-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	103659	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	78,400.00 रुपये अठहत्तर हजार चार सैं
2	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	103663	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	78,400.00 रुपये अठहत्तर हजार चार सैं
3	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	103664	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	233,100.00 रुपये दो लाख तैंतीस हजार एक सैं

योग:

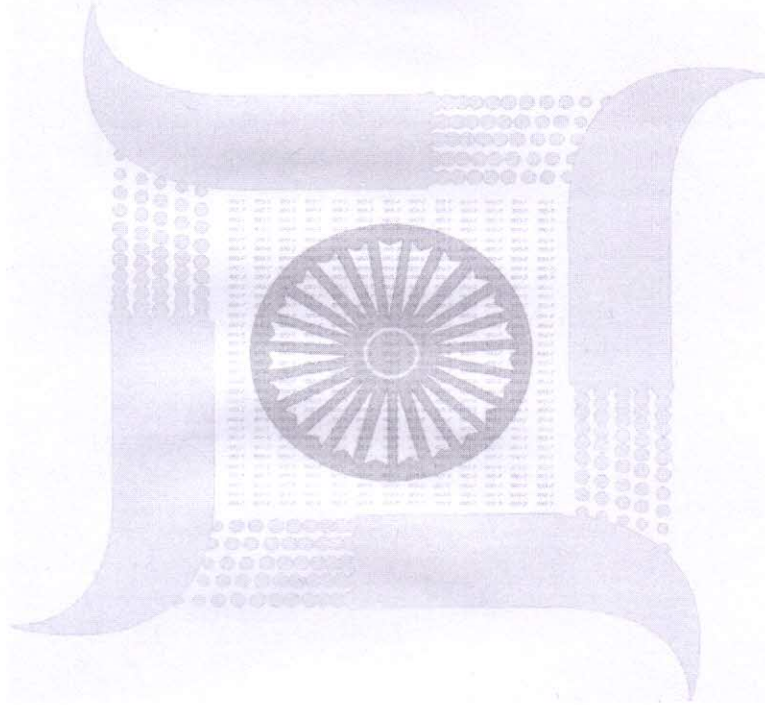
389,900.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन लाख नवासी हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. PR. & D. W. ANARSHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	103666	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	192,400.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार चार सौ



योग:

192,400.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच लाख बयासी हजार तीन सौ

582,300.00

(Signature)
(SUSHIL SATNAM SINGH)
ADDL. P.S. DIV. WANA RANCHI